न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मंण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी प्रकरण कमांक............

(78)

रिंकू कुमार साहू पिता श्री रामनरेश साहू उम्र 21 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम खम्हरिया तहसील नागौद जिला सतना म.प्र.
.............आवेदक

बनाम II/निगरानी/सतना/भू.रा./2018/2195

1. मु.फूलमती बेवा मैना (फौत)
2. रामलाल उम्र 56 वर्ष पेशा कृषि एवं मजदूरी निवासी खम्हरिया खुर्द
3. अमृतलाल उम्र 49 वर्ष तनय मैना साहू पेशा कृषि एवं मजदूरी निवासी ग्राम देवरी थाना जैतवारा जिला सतना म.प्र.
4. रामनरेश उम्र 46 वर्ष तनय मैना साहू पेशा कृषि एवं मजदूरी निवासी ग्राम गायत्री नगर टिकुरिया टोला गली नंबर 6 वार्ड नं.45 सतना जिला सतना म.प्र.
5. रामकली पत्नी रणमत उम्र 70 वर्ष व पुत्री मैना साहू पेशा घरुकार्य एवं कृषि निवासी ग्राम सुनवर्षा तहसील रघुराज नगर जिला सतना म.प्र.
6. मुन्नी पत्नी ददानी साहू पुत्री मैना साहू उम्र 36 वर्ष पेशा कृषि एवं घरुकार्य निवासी ग्राम डढ़िया तहसील नागौद जिला सतना म.प्र.
.........प्रतिवादी गण

श्री ... द्वारा आज दि. 4-4-18 हेतु प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 9-4-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील नागौद जिला सतना म.प्र. के प्रकरण कमांक 5 अ 6/2016–17 आदेश दिनांक 26/2/2018 बावत भूमि नंबर 315/4 रकवा 1.045 हे. मौजा खम्हरिया खुर्द पटवारी हल्का छींदा राजस्व निरीक्षक मंण्डल डाम्हा तहसील नागौद जिला सतना म.प्र. जिस अंतरिम आदेश के तहत आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय मे प्रस्तुत नामांतरण आवेदन जरिए रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 21/2/2016 को नामांतरण आवेदन निरस्त किया गया है।

निगरानी अंतर्गत धारा 50–1 भू.रा.संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नप्रकार है।

1. यह कि आवेदक रिंकू कुमार साहू द्वारा मौजा खम्हरिया खुर्द पटवारी हल्का छींदा राजस्व निरीक्षक मंण्डल डाम्हा तहसील नागौद जिला सतना म.प्र. की भूमि नंबर 315/4 रकवा 1.045 हे. को जरिए प्राप्त पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 18/2/2016 के अनुसार वादग्रस्त भूमि जो आवेदक को अनावेदक कमांक 1 स्व. फूलमती बेवा मैना द्वारा जरिए वसीयत प्रदान की गई है जिस पर वह बतौर स्वामी काबिज दखील है के तहत तहसील न्यायालय मे नामांतरण का आवेदन पत्र अंतर्गत

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/सतना/भू.रा./2018/2195

रिंकू विरूद्ध फूलमती

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-04-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील नागौद के प्रकरण क्रमांक 5/अ-6/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 26-02-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. यह प्रकरण दिनांक 20-06-2019 को कलेक्टर जिला सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे । (बी.एम.शर्मा) सदस्य	